प्रेषक

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
लखनऊ उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 967-76 /बा0वि0परि0/ पो0एवंस्वा0/2021–22, दिनांक : 19 जुलाई, 2021

विषयः प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से कराये जाने विषयक संशोधित विस्तृत प्रकिया (SOP) के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन, बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2601/58–1–2020–2/1(116)17टी0सी0–सी0, दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 द्वारा अपर मुख्य सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित अन्तर्विभागीय समिति द्वारा विस्तृत प्रक्रिया (SOP) निर्धारित की गयी थी, जो इस कार्यालय के पत्र संख्या सी–604 बा0वि0परि0/पो0एवंस्वा0/2021–22, दिनांक 20.10.2020 द्वारा प्रेषित की गयी थी।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार की उत्पादन एवं आपूर्ति की प्रक्रिया में कतिपय परिवर्तन के दृष्टिगत अन्तर्विभागीय समिति द्वारा संशोधित विस्तृत प्रक्रिया (SOP) निर्धारित की गयी है, जो संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या 967-76 /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ कि वर्तमान में अनुपूरक पुष्टाहार आपूर्ति की प्रक्रिया में पी0सी0डी0एफ0 हितधारक नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर नैफेड हितधारक के रूप में सम्मिलित है। अतः प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0 के स्थान पर शाखा प्रबन्धक, नैफेड, लखनऊ को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। कृपया उक्तानुसार कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01.10.2020 को संशोधित करने का कष्ट करें।
4. मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, नैफेड, नई दिल्ली।
6. शाखा प्रबन्धक, नैफेड, लखनऊ।
7. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक।

उत्तर प्रदेश में आई0सी0डी0एस0 के लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार वितरण हेतु "मानक संचालन प्रक्रिया" (एस0ओ0पी0)

1. प्रस्तावना :

भारत सरकार द्वारा 0–6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के विकास एवं गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धित आवश्यकताओं की समग्र रूप से पूर्ति हेतु "एकीकृत बाल विकास सेवायें" (आई0सी0डी0एस0) दिनांक 02 अक्टूबर, 1975 को प्रारम्भ की गयी थी। आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत आगनबाड़ी केन्द्रों (ए0डब्लू0सी0) के नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण एवं अनौपचारिक शिक्षा सहित छः प्रकार की सेवायें प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश में आई0सी0डी0एस0 के "अनुपूरक पुष्टाहार योजना" (एस0एन0पी0 एवं किशोरी बालिकाओं हेतु एस0ए0जी0 योजना) के अन्तर्गत प्रावधानित **"टेक होम राशन" (टी0एच0आर0)** 06 माह से 03 वर्ष आयु वर्ग एवं 03 वर्ष से 06 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों (प्रातःकालीन स्नैक्स के रूप में), गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं, अतिकुपोषित बच्चों (06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग) एवं स्कूल न जाने वाली 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं को आच्छादित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–19/2020/2591/58–1–2020–2/1(116)17टी0सी0–सी0, दिनांक 01.10.2020 के माध्यम से प्रदेश के सभी 75 जनपदों में महिला स्वयं सहायता समूहों (एस0एच0जी0) के माध्यम से टी0एच0आर0 उत्पादन आगामी 02 वर्ष तक किये जाने एवं अन्तराल में महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ही पुष्टाहार वितरण की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

यह "मानक प्रचलन प्रक्रिया" (एस0ओ0पी0) अनुपूरक पुष्टाहार (टी0एच0आर0) की निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार आपूर्ति श्रंखला, प्रत्येक श्रेणी के लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न उत्पादों की मात्रा, वितरण की आवृत्ति, निगरानी ढांचे के साथ–साथ अनुपूरक पुष्टाहार (टी0एच0आर0) के वितरण/आपूर्ति संबंधी सूचना–प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न हितधारकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधानों के संबंध में है।

इस "मानक संचालन प्रक्रिया" (एस0ओ0पी0) को समय–समय पर आवश्यकतानुसार शासन द्वारा गठित अन्तर्विभागीय समिति द्वारा संशोधन किया जा सकेगा।

2–टी0एच0आर0 (अनुपूरक पुष्टाहार) वितरण हेतु लाभार्थियों की श्रेणियाँ :

उत्तर प्रदेश में 897 परियोजनाओं (819 ग्रामीण एवं 78 शहरी परियोजनाओं) में लगभग 1.60 करोड़ लाभार्थियों सहित कुल 1,89,780 आंगनबाड़ी केन्द्र (ए0डब्लू0सी0) हैं। प्रदेश में समस्त लाभार्थियों का श्रेणीवार विवरण एवं लागत के मानदंड निम्नानुसार हैं :–

उत्तर प्रदेश में आई0सी0डी0एस0 के लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार वितरण हेतु "मानक संचालन प्रक्रिया" (एस0ओ0पी0)

तालिका–1

भारत सरकार की नवीनतम अधिसूचनाओं के अनुसार श्रेणियाँ, अनुपूरक पोषण आवश्यकताएं एवं लागत के मानदंड

क्र0 सं0	लाभार्थियों की श्रेणियाँ (एस0एन0पी0 एवं एस0ए0जी0)	लाभार्थी संख्या	कैलोरी (के0कैल / दिन)	प्रोटीन (ग्राम / दिन)	निर्धारित मानक दरें (रू0 / दिन)
1	बच्चे (06 माह से 03 वर्ष)	7938953	500	12-15	8.00
2	बच्चे (03 वर्ष से 06 वर्ष)	3845162	200	6	3.50
3	गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं	3535316	600	18-25	9.50
4	किशोरियां (11 से 14 वर्ष)	204524	600	18-25	9.50
5	अतिकुपोषित बच्चे (06 माह से 06 वर्ष)*	466137	800	20-25	12.00
	योग	**1,59,90,092**			

***टिप्पणी** : महिला एवं बाल विकास मंत्रालयभारत सरकार के नवीनतम निर्धारित मानक दरें संबंधी पत्र दिनांक 06 अक्टूबर, 2017 के अनुसार, "अतिकुपोषित बच्चे" (06 माह से 72 माह) के रूप में श्रेणी वर्गीकृत की गयी है। "अतिकुपोषित" को "गम्भीर रूप से अल्पवजन"के रूप में माना गया है और उन्हें आयु–के–अनुसार–वजन मापदण्ड (विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार मीडियन के 3z स्कोर से कम) का प्रयोग करके चिन्हांकित किया जाता है।

एस0एन0पी0 एवं एस0ए0जी0 के अन्तर्गत उक्त लक्षित लाभार्थियों को, भारत सरकार के नवीनतम मानदण्डों के अनुसार दैनिक कैलोरी एवं प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु, अनुपूरक पुष्टाहार की प्रति माह निम्नलिखित मात्रा प्रदान की जायेगी :–

तालिका–2 : लाभार्थीवार मासिक अनुपूरक पुष्टाहार का प्राविधान[1]

लाभार्थी श्रेणी	गेहूं दलिया (किग्रा0 में)	चावल (किग्रा0 में)	चना दाल (किग्रा0 में)	फोर्टिफाइड खाद्य तेल (मस्टर्ड / सोयाबीन) (किग्रा0 में)
06 माह से 03 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे	1.00	1.00	1.00	0.455
03 वर्ष से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे	0.5	0.5	0.5	-
गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं एवं स्कूल से बाहर किशोरियां (11 वर्ष से 14 वर्ष)	1.50	1.00	1.00	0.455
अतिकुपोषित बच्चे (06 माह से 06 वर्ष)	1.50	1.50	2.00	0.455

उत्तर प्रदेश में आई0सी0डी0एस0 के लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार वितरण हेतु
"मानक संचालन प्रक्रिया" (एस0ओ0पी0)

[1] उक्त तालिका में उल्लिखित मदों के लिए कैलोरी एवं प्रोटीन की गणना, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, आई0सी0एम0आर0 द्वारा "भारतीय खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्य" (Nutritive Value of Indian Foods) के आधार पर की गयी है। यह संस्करण वर्ष 2012 में पुनमुर्द्रित किया गया था।

गेहूं दलिया, चना दाल एवं फोर्टिफाइड खाद्य तेल की आपूर्ति नैफेड द्वारा आई0सी0डी0एस0 से प्राप्त मांग के अनुरूप निर्धारित समय सीमा में प्रतिमाह ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना कार्यालय तक एवं शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर की जायेगी।

चावल की आपूर्ति खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा कोटेदार के माध्यम से की जायेगी।

3–भूमिका एवं उत्तरदायित्व :

चित्र–1 : "स्वंय सहायता समूहों" (एस0एच0जी0) के माध्यम से अनुपूरक पुष्टाहार टी0एच0आर0 उत्पादों के प्रवाह का आरेखीय चित्रण :

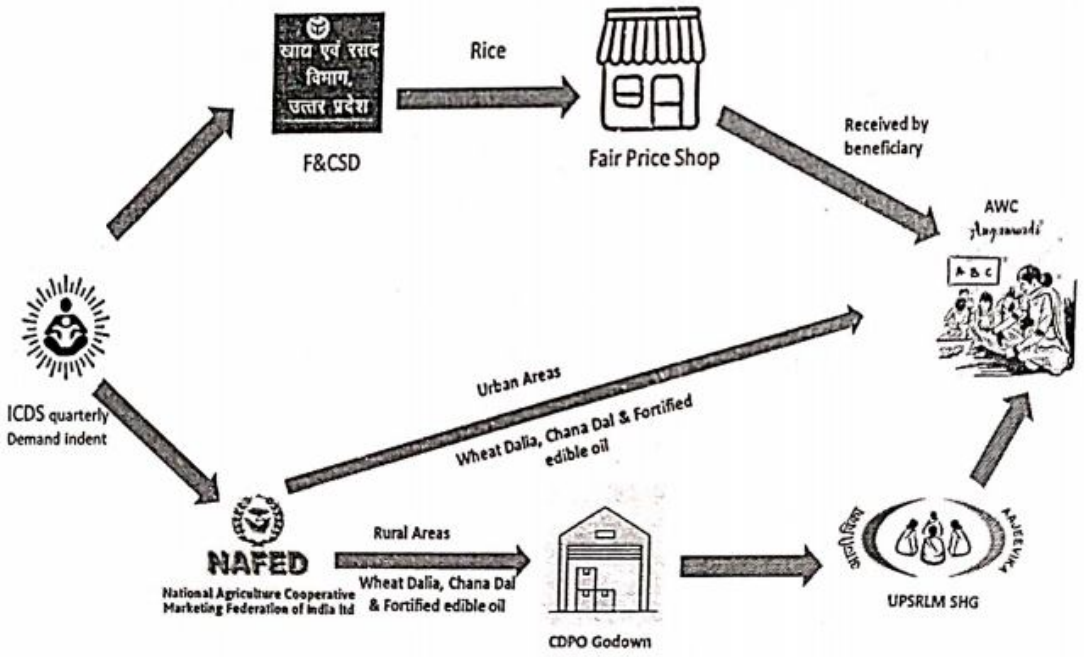

यू0पी0एस0आर0एल0एम0 द्वारा प्रत्येक एस0एच0जी0 द्वारा आच्छादित किये जाने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों की मैपिंग एवं आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा प्रत्येक कोटेदार से आच्छादित आंगनबाड़ी केन्द्रों की भी मैपिंग की गयी है। इस मैपिंग को जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार समय–समय पर मुख्य विकास अधिकारी के अनुमोदन से अद्यतन किया जा सकेगा।

उत्तर प्रदेश में आई0सी0डी0एस0 के लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार वितरण हेतु
"मानक संचालन प्रक्रिया" (एस0ओ0पी0)

आई0सी0डी0एस0 की भूमिका–

(क) आई0सी0डी0एस0 द्वारा मांग–पत्र पोर्टल के माध्यम से अथवा ई–मेल द्वारा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताओं को भारत सरकार से आवंटन प्राप्त होने पर त्रैमासिक रूप से प्रेषित किया जायेगा। सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उक्त आधार पर प्रतिमाह आपूर्ति की जायेगी।

(ख) परियोजना कार्यालय पर समस्त सामग्री पहुंचने पर सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सामग्री के स्वयं सहायता समूहों द्वारा उठान के लिए सम्बन्धित बी0एम0एम0 को सूचित किया जायेगा।

(ग) आंगनबाड़ी केन्द्र पर सामग्री की प्राप्ति की रसीद आंगनबाड़ी द्वारा स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) सामान्यतः आई0सी0डी0एस0 के लाभार्थी पी0डी0एस0 प्रणाली से भी आच्छादित होते हैं व कोटेदार भी उनके रिहायशी क्षेत्र के नजदीक ही होते हैं। अतः उक्त तथ्य के दृष्टिगत लाभार्थियों को चावल का वितरण कोटेदार से आंगनबाड़ी द्वारा लाभार्थी को प्रदत्त टोकन जिसमें लाभार्थी का नाम, अभिभावक का नाम, वितरण तिथि एवं समय का उल्लेख रहेगा, के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा अपने समक्ष उसका वितरण करवाया जायेगा। आंगनबाड़ी वितरण सम्बन्धी अभिलेख अपने पास संरक्षित रखेगी। इससे स्वयं सहायता समूह को सिर्फ परियोजना कार्यालय से ही सामग्री का उठान कर आंगनबाड़ी केन्द्रों तक ले जाना पड़ेगा।

(ड.) आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा एफ0सी0आई0 से क्रय किये जाने वाले चावल के लिए खाद्य एवं रसद विभाग को अग्रिम भुगतान किया जायेगा। कोटेदारों को परिवहन एवं प्रोत्साहन तथा अन्य किये गये व्यय का भुगतान खाद्य एवं रसद विभाग से भुगतान का विवरण प्राप्त होने पर किया जायेगा।

(च) आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा किसी भी स्तर पर आपूर्तित सामग्री का रैंडम परीक्षण हेतु सैम्पल कलेक्शन नैफेड के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में कराया जा सकता है।

(छ) आई0सी0डी0एस0 द्वारा कॉल सेन्टर के माध्यम से वितरण सम्बन्धी फीडबैक लिया जायेगा।

(ज) आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान प्रेषित बिलों/इनवाइसों/वाउचर्स के आधार पर अग्रिम का समायोजन करते हुए किया जायेगा। आई0सी0डी0एस0 के पोर्टल पर भुगतान सम्बन्धी सुविधा विकसित होने पर सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताओं को पोर्टल के माध्यम से इनवाइस/बाउचर्स प्रेषित किये जाने होंगे।

उत्तर प्रदेश में आई0सी0डी0एस0 के लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार वितरण हेतु
"मानक संचालन प्रक्रिया" (एस0ओ0पी0)

(झ) आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारियों से समस्त सामग्री के वितरण की सूचना मासिक रूप से प्राप्त की जायेगी।

खाद्य एवं रसद विभाग की भूमिका–

(क) खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा कोटेदार के माध्यम से चावल की आपूर्ति की जायेगी।

(ख) खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा प्राप्त डी0आई0 का कोटेदारवार आवंटन की सूचना सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, जिला खाद्य विपणन अधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी को दी जायेगी।

(ग) जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा एफ0सी0आई0 गोदाम से ब्लाक गोदाम तक एवं कोटेदार द्वारा ब्लाक गोदाम से कोटे की दूकान तक निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उठान (lift) की कार्यवाही की जायेगी।

(घ) खाद्य एवं रसद विभाग में पूर्व से ही एक सुविकसित आई0टी0 प्रणाली विद्यमान है। मांग–पत्र के आधार पर, एफ0सी0आई0, कोटेदारों को आदेशों का निर्गमन, चावल का उठान एवं कोटे की दूकान पर चावल की निर्धारित मात्रा की उपलब्धता संबंधी अनुवर्ती कार्यवाही खाद्य एवं रसद विभाग के आई0टी0 मंच के माध्यम से ट्रैक की जायेगी। इसे अग्रेत्तर आई0सी0डी0एस0 के आई0टी0 मंच द्वारा ए0पी0आई0 के माध्यम से खाद्य एवं रसद विभाग के आई0टी0 मंच से कैप्चर किये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

(ड.) एफ0सी0आई0 गोदाम से आई0सी0डी0एस0 विभाग के लिए उठान किये गये चावल की धनराशि का भुगतान खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा आई0सी0डी0एस0 विभाग से प्राप्त अग्रिम धनराशि से किया जायेगा।

(च) भारत सरकार के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–15–1/2021–BP-II (Pt.)/145, दिनांक 19.03.2021 के क्रम में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा प्राप्त मांग एवं विभागीय क्षमतानुसार चावल के स्थान पर फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराया जायेगा।

(छ) खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा आपूर्तित सामग्री हेतु अपने सामान्य वितरण तंत्र के समान ही क्यू0सी0 पैरामीटर लागू किये जायेगें। (पीडीएस/डीएफपीडी का उपयोग एफ0ए0क्यू0 – निष्पक्ष औसत गुणवत्ता मानकों के अनुसार चावल/गेहूँ अनाज का क्रय किया जाता है।)

(ज) कोटेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि चावल का वितरण प्रत्येक लाभार्थी को टोकन प्रस्तुत करने एवं सम्बन्धित लाभार्थी की वहां पर उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा अपने अभिलेखों से पुष्टि होने पर ही किया जाये।

(झ) खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा एफ0सी0आई0 गोदाम से उठान की स्थिति एवं कोटेदार द्वारा किये गये उठान की स्थिति की साप्ताहिक आख्या निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित की जायेगी।

(ञ) विशेष परिस्थिति में/आई0सी0डी0एस0 विभाग की आवश्यकतानुसार यदि खाद्य एवं रसद विभाग के माध्यम से गेहूं का भी उठान करवाया जाता है, तो इस

उत्तर प्रदेश में आई0सी0डी0एस0 के लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार वितरण हेतु "मानक संचालन प्रक्रिया" (एस0ओ0पी0)

सम्बन्ध में चावल की भांति उक्तानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए उठान किया जायेगा।

नैफेड की भूमिका–

(क) नैफेड द्वारा आपूर्ति की जाने वाली प्रत्येक सामग्री की अलग–अलग निर्धारित मात्रा में पैकिंग की जायेगी तथा लाभार्थीवार सभी सामग्री के पैकेट्स को एक बड़े कलर कोडेड पैकेट में (लाभार्थी किट) के रूप में आपूर्ति की जायेगी। प्रत्येक सामग्री पैकेट की क्यू0आर0 कोडिंग भी की जायेगी।

(ख) नैफेड द्वारा शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र तक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना कार्यालय तक सामग्री की आपूर्ति की जायेगी।

(ग) नैफेड द्वारा आपूर्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर आपूर्ति प्रारम्भ कर 01 माह के भीतर आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

(घ) नैफेड द्वारा आपूर्ति के 15 दिन के भीतर बिल निदेशालय में प्रस्तुत किये जायेगें और निदेशालय स्तर से बिलों के भुगतान की कार्यवाही अधिमानतः 15 दिन के भीतर की जायेगी। अप्रत्याशित घटना की दशा के अतिरिक्त यदि नैफेड के पार्ट पर आपूर्ति में विलम्ब किया जाता है, तो आपूर्ति के सापेक्ष प्रस्तुत बिलों के भुगतान से निम्नानुसार कटौती की जायेगी :–

विलम्बित मात्रा की लागत का 0.2 प्रतिशत की दर से कटौती प्रति सप्ताह की जायेगी और कटौती की राशि सम्बन्धित बिलों से वसूल की जायेगी। यदि विलम्ब की उपरोक्त अवधि सप्ताह के अंश में है और विलम्ब चार दिनों से कम है, तो इसे अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन यदि यह चार दिन या अधिक है, तो कटौती की जाने वाली राशि की गणना के उद्देश्य से इसे सप्ताह के रूप में माना जायेगा।

(ड.) आपूर्तित खाद्यान्न में निर्धारित मानक से वजन कम पाये जाने अथवा निर्धारित मानक से गुणवत्ता में 05 प्रतिशत से अधिक विचलन पाये जाने पर सम्बन्धित बैच के मूल्य का 0.5 प्रतिशत की कटौती उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए की जायेगी।

(च) नैफेड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में परियोजना कार्यालय तक अथवा शहरी क्षेत्र में आंगनवाड़ी केन्द्र तक आपूर्ति के दौरान ट्राजिंट अवधि में यदि खाद्यान्न की क्षति/लीकेज होती है अथवा यदि आपूर्ति होने के उपरान्त खाद्यान्न टेस्टिंग के उपरान्त "सेफ फॉर कन्जम्शन" नहीं पाया जाता है, तो नैफेड द्वारा उक्त मात्रा को अपने साधनों से रिप्लेश किया जाना होगा।

सामग्री की ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विकास परियोजना कार्यालय तथा नगरीय क्षेत्रों मे आंगनवाड़ी केन्द्रों तक आपूर्ति के उपरान्त खाद्यान्न की क्षति/लीकेज/चोरी के लिए सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उत्तारदायी होंगे।

(छ) उपरोक्त समस्त कार्यवाही नैफड द्वारा भण्डार क्रय नियमों एवं GFR आदि का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित की जायेगी तथा आपूर्तित सामग्री के वितरण प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के अन्दर सामग्री की एन0ए0बी0एल0 अनुमोदित

उत्तर प्रदेश में आई0सी0डी0एस0 के लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार वितरण हेतु "मानक संचालन प्रक्रिया" (एस0ओ0पी0)

विश्लेषण इकाई से प्राप्त गुणवत्ता जांच रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

(ज) प्रत्येक लाभार्थी श्रेणी हेतु प्रतिदिन अनुमन्य धनराशि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 11–36/2016–सी0डी0.I, दिनांक 23.11.2017 में निर्धारित की गयी है (तालिका–1)। आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा समस्त हितधारकों का भुगतान एवं खाद्यान्न का गुणवत्ता परीक्षण इसी धनराशि से किया जाना है। उक्त के दृष्टिगत नैफेड द्वारा प्रस्तावित आपूर्ति हेतु समस्त व्ययों (ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विकास परियोजना कार्यालय तथा नगरीय क्षेत्रों मे आंगनबाड़ी केन्द्रों तक सामग्री पहुंचाने) के लिए दरों की अधिकतम सीमा (वर्ष 2021–22 के द्वितीय त्रैमास से प्रभावी) निम्नवत् निर्धारित की जाती है :–

धनराशि (रू0 में)

क्र0 सं0	लाभार्थी श्रेणी	प्रति लाभार्थी प्रतिदिन भुगतान	प्रति लाभार्थी प्रतिमाह (25 दिन) भुगतान
1	6 माह से 3 वर्ष आयु के बच्चें	7.17	179.25
2	3 से 6 वर्ष आयु के बच्चें	3.10	77.50
3	गर्भवती एवं धात्री महिलाएं	8.56	213.94
4	अति कुपोषित बच्चें	10.78	269.50
5	किशोरी बालिकाएं (एस0ए0जी0)	8.56	213.94

नोट :– भविष्य में यदि चावल के फोर्टिफिकेशन हेतु कोई धनराशि आई0सी0डी0एस0 द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग को देयता बनती है, तो उक्त दरें परिवर्तनीय होंगी।

(झ) नैफेड द्वारा आपूर्ति की साप्ताहिक आख्या निर्धारित प्रारूप पर आई0सी0डी0एस0 को प्रेषित की जायेगी।

यू0पी0एस0आर0एल0एम0 एवं उनके महिला एस0एच0जी0 की भूमिका–

(क) यू0पी0एस0आर0एल0एम0 द्वारा आई0सी0डी0एस0 से प्राप्त आपूर्ति आदेश के आधार पर सम्बन्धित डी0सी0एन0आर0एल0एम0 को प्रत्येक समूह को परियोजना कार्यालय से उठान हेतु आवंटित खाद्यान्न की सूची उपलब्ध करायेगें एवं उसकी एक प्रति जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी उपलब्ध करायेंगे।

(ख) प्राप्त सूची के आधार पर समूह परियोजना कार्यालय से पुष्टाहार निर्धारित समय सीमा (नैफेड द्वारा गोदाम पर आपूर्ति किये जाने के एक सप्ताह के भीतर) प्राप्त कर सम्बन्धित मैप्ड आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्राप्त करायेगें। यदि उक्त अवधि में समूह द्वारा उठान नहीं किया जाता है अथवा उठान करने से इंकार किया जाता है, तो इसकी सूचना संकलित कर सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी को दी जायेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा इसकी सूचना मुख्य विकास अधिकारी को दी जायेगी जो समस्या का विधि सम्मत निदान करेगें।

(ग) यू0पी0एस0आर0एल0एम0 द्वारा वितरित खाद्यान्न की जनपदवार आख्या निर्धारित प्रारूप पर आई0सी0डी0एस0 को मासिक रूप से प्रेषित की जायेगी।

उत्तर प्रदेश में आई0सी0डी0एस0 के लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार वितरण हेतु "मानक संचालन प्रक्रिया" (एस0ओ0पी0)

(घ) चूंकि वर्तमान में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा कोटेदार से खाद्यान्न का उठान, खाद्यान्न की तौल एवं पैकेजिंग नहीं की जा रही है, अतएव समूहों को परियोजना कार्यालय से आंगनबाड़ी केन्द्र तक सामग्री पहुंचाने हेतु यू0पी0एस0 आर0एल0एम0 को उनके द्वारा प्रेषित भुगतान मांग पत्र के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा :–

क्र0 सं0	लाभार्थी श्रेणी	25 किमी0 तक की दूरी पर प्रति लाभार्थी प्रतिदिन भुगतान	प्रति लाभार्थी प्रतिमाह (25 दिन) भुगतान	25 किमी0 से ऊपर 50 किमी0 तक की दूरी पर प्रति लाभार्थी प्रतिदिन भुगतान	प्रति लाभार्थी प्रतिमाह (25 दिन) भुगतान	50 किमी0 से ऊपर की दूरी पर प्रति लाभार्थी प्रतिदिन भुगतान	प्रति लाभार्थी प्रतिमाह (25 दिन) भुगतान
1	6 माह से 3 वर्ष आयु के बच्चें	0.45	11.25	0.60	15.00	0.75	18.75
2	3 से 6 वर्ष आयु के बच्चें	0.24	6.00	0.26	6.50	0.28	7.00
3	गर्भवती एवं धात्री महिलाएं	0.60	15.00	0.70	17.50	0.80	20.00
4	अति कुपोषित बच्चें	0.80	20.00	0.90	22.50	1.00	25.00
5	किशोरी बालिकाएं (एस0ए0जी0)	0.60	15.00	0.70	17.50	0.80	20.00

(ड.) यू0पी0एस0आर0एल0एम0 द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र पर आपूर्ति के उपरान्त सम्बन्धित जनपद के डी0सी0एन0आर0एल0एम0 एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से सत्यापित जनपदवार लाभार्थी श्रेणीवार भुगतान मांग पत्र वितरित मात्रा के विवरण सहित मासिक रूप से निदेशालय में प्रस्तुत किये जायेगें और निदेशालय स्तर से भुगतान की कार्यवाही अधिमानतः 15 दिन के भीतर की जायेगी।

(च) स्वयं सहायता समूहों को भुगतान समयान्तर्गत सुनिश्चित करने का दायित्व यू0पी0एस0आर0एल0एम0 का होगा।

निगरानी एवं गुणवत्ता की जॉच

विभिन्न स्तरों पर निगरानी तंत्र का सारांश निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है:–

क्र0 सं0	निगरानी समिति	सदस्य	भूमिका/दायित्व
1.	ग्राम निगरानी समिति (वी0एम0सी0)	• ग्राम प्रधान (अध्यक्ष) • ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति सदस्य (आंगनवाड़ी कार्यकत्री के अतिरिक्त) • ग्राम पंचायत का सदस्य – एक सदस्य • टेक होम राशन लाभार्थी माता (रोटेशन से) – एक सदस्य • किशोरी लाभार्थी (अधिमानतः वीरांगना दल की सखी/ सहेली–रोटेशन से)–एक सदस्य	• ऑगनवाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार की नियमानुसार आपूर्ति एवं वितरण सुनिश्चित करना। • उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price shop) से लाभार्थियों को चावल के वितरण के समय निगरानी।
2.	ब्लॉक निगरानी समिति (बी0एम0सी0)	• उपजिलाधिकारी (अध्यक्ष) • बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी0डी0पी0ओ0), बाल विकास एवं पुष्टाहार सेवाएं • आपूर्ति निरीक्षक	• आपूर्तित पुष्टाहार/अनाज की गुणवत्ता एवं मात्रा की जांच। • आंगनवाड़ी केन्द्रों में टी0 एच0आर0 की आपूर्ति एवं वितरण की निगरानी।

		• खाद्य सुरक्षा अधिकारी (ब्लाक के प्रभारी) • ब्लाक मिशन प्रवन्धक, एस0आर0एल0एम0 • ब्लाक से एक आंगनवाडी कार्यकत्री (रोटेशन द्वारा)	
3.	जिला निगरानी समिति (डी0एम0सी0)	• जिलाधिकारी (अध्यक्ष) • मुख्य विकास अधिकारी • डी0पी0ओ0 (संयोजक) • उपायुक्तएन0आर0एल0एम0 सदस्य • जिला पोषण समिति के सदस्य	• जिला रतर पर टी0एच0आर0 आपूर्ति श्रृंखला का सम्पूर्ण प्रवन्धन। • टी0एच0आर0 आपूर्ति श्रृंखला के परफारमेंस की आवधिक समीक्षा (Periodic Review)

(विजय कुमार शर्मा)
शाखा प्रबन्धक,
भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन
सहकारी संघ मर्यादित (नैफेड)

(राकेश कुमार मिश्र)
खाद्य एवं रसद विभाग
उत्तर प्रदेश, प्रतिनिधि
अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव,
खाद्य एवं रसद विभाग

(भानु चन्द गोस्वामी)
मिशन निदेशक,
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
उत्तर प्रदेश लखनऊ/
प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश

(वी0 हेकाली झिमोमी)
प्रमुख सचिव,
बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन